

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

विज्ञापन/पत्रांक संख्या : 1927

दिनांक 30-07-2024

निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से गीडा में 02 कार्यों की आन लाईन एवं 01 कार्य की आफ लाईन निविदा दिनांक 01.08.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 21.08.2024 अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। आफ लाईन निविदा प्रपत्र गीडा के वित्त अनुभाग से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं, एवं आन लाईन संबंधित निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवम् निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> / www.gidagkp.in पर देखे एवं वही पर भरे जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें, क्योंकि आन लाईन ई-निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।



(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर-13 में जलापूर्ति कार्य हेतु नय पम्प हाउस के निर्माण कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में सिविल/जलापूर्ति कार्य हेतु 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 11:00 बजे से दिनांक को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यविधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-13 में जलापूर्ति कार्य हेतु नये पम्प हाउस का निर्माण कार्य।	74.03.	5.70	रु० 2950.00	06 माँह	'ए'	आन-लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें :-

- 1- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transasction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3- निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में जलापूर्ति/सिविल कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 6- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।
- 8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैध चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैध हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-06 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्य/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, एवम् गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कारपोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता को पिछले पाँच वर्षों में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आईटी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु० 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्धदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगाई गयी सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0आई0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगाई जाने वाली सामग्री का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लॉज 4:4 बी. के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रु० 100.00 नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जाँच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जब कर निविदाकार ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

23- अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

- 24- निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जाँच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- 25- कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दांयी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदांयी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
- 26- संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 23- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 27- जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- 28- निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।
- 29- निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।
- 30- सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, द्वारा अनुमोदित जी0टी0पी0 के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यू0पी0पी0सी0एल0 के अनुसार अनुमन्य होगी एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगी।
- 31- कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 32- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 1929 /अभि0नि0-6/ज0पू0/ई-निविदा/गीडा/2024-25 दिनांक 30 जुलाई 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।


(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के औद्योगिक सेक्टर-13 में वाटर सप्लाई नेटवर्क हेतु नई पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में सिविल/जलापूर्ति कार्य हेतु 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी.एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सेक्टर-13 में वाटर सप्लाई नेटवर्क हेतु नई पाइप लाइन बिछाने के कार्य।	151.42	9.57	(निविदा+ जी.एस.टी) रु० 2950.00	06 माँह	'ए'	आन-लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें :-

- 1- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3- निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में जलापूर्ति/सिविल कार्यों हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 6- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 7- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।
- 8- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-06 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटरीज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

9- शासनादेश संख्या 336/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्य/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गुगल एवम् गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10- निविदादाता को पिछले पाँच वर्षों में समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ठेकेदार का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर निविदा धनराशि का 50 प्रतिशत जो पिछले पाँच वर्ष का होना आवश्यक है। निविदा के साथ पिछले पाँच वर्षों का आईटी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14- निविदादाता के पास निविदा की धनराशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत शोधन क्षमता (Solvency) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से उक्त धनराशि का क्रेडिट सुविधा होनी चाहिए।

15- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रू० 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा, स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

16- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी गयी सामग्री की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य/सामग्री में किसी प्रकार की खराबी होने/गुणवत्तापूर्वक न होने की स्थिति में सामग्री को तत्काल बदल कर आपूर्ति एवं कार्यों को यथा तकनीकी विशिष्ट सुधार कर पूर्ण कराया जाना होगा। अन्यथा कि स्थिति में अनुबन्ध को निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

17- निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली सामग्री का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्री मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी। समस्त कार्यों का सम्पादन यथा तकनीकी विशिष्ट के अनुसार कराया जाना होगा। मानकों के अनुरूप में सम्पादित कार्यों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित/उच्चधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

18- ITB क्लॉज 4.4 बी. के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।

19- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।

20- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

21- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जब कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

22- ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

23- अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

- 24- निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जाँच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- 25- कार्य में प्रयुक्त होने वाली ऐसी समस्त सामग्री जो कि फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी वह मानक के अनुसार होगी। सामग्री ढुलाई, बीमा, हानि (सामग्री/जन) सुरक्षा हेतु कार्य दायी फर्म ही उत्तरदायी होगी तथा इस मद में कोई अतिरिक्त देय अनुमन्य नहीं होगा। सभी श्रम/सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा, अन्यथा कार्यदायी फर्म/ठेकेदार का ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
- 26- संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 23- निविदादाता के पिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 27- जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- 28- निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।
- 29- निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।
- 30- सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य गीडा/उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, द्वारा अनुमोदित जी०टी०पी० के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एवं शर्तें गीडा/यू०पी०पी०सी०एल० के अनुसार अनुमन्य होगा एवम् सिविल कार्य हेतु गीडा/लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 31- कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा एवं कार्य समय में किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा तथा निविदादाता द्वारा कार्य कराने के क्षेत्र में वन विभाग की सीमाओं/राष्ट्रीय राज मार्गों की अनुमति अपने स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- 32- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1928

पत्रांक / अगि०नि०-6/विद्युत/ई-निविदा / गीडा/2024-25 दिनांक 30 जुलाई 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

आफ लाईन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर-7 में कार्यालय भवन में सी0ई0ओ0 कार्यालय कक्ष के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु सरकारी/अर्धसरकारी विभागों में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से आफ लाईन निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु दू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी. एस.टी. सहित (रु० लाख में)।	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	गीडा सेक्टर-7 में कार्यालय भवन में सी0ई0ओ0 कार्यालय कक्ष के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य।	16.39	1.64	2950.0	30 दिवस	'सभी श्रेणी'

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक के अनुसार जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक से तब तक निर्धारित शुल्क कालम '5' यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व www.gidagkp.in पर देखा जा सकता है। को दोपहर बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र नियम एवं शर्त :-

- 1- निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि कालम '4' के अनुसार "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये हैं, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- 5- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 6- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी0सी0 दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी0-04 (वैद्य चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी0-05 (वैद्य हैसियत प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-06 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराईज्ड) रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
- 7- शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सिविल एवम् विद्युत यांत्रिक सहित निर्माण कार्य/निर्माण परियोजनाओं को ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते हैं वे भी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8- निविदा के समान प्रकृति के कार्य का आगणन के एक तिहाई धनराशि का विगत 05 वर्षों में सिंगल बॉण्ड का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य है।

- 9- निविदा में भाग लेने वाली फर्म/टेकेदार का पिछले पाँच वर्षों का आईटी0आर0 एवं बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 10- प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- 11- निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित स्थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 12- निविदा के स्वीकृति के पश्चात् कार्यादेश/स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है। विलम्ब के लिये रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 13- निविदादाता द्वारा साईट पर मानक एवं गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है।
- 14- निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 15- निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- 16- निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जॉच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 17- अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- 18- संयुक्त प्रस्ताव (Joint Venture) मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 19- निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 20- जी0एस0टी0 एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
- 21- निविदादाता द्वारा धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-16 एवं 19 के अनुसार देय होगी।
- 22- किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1926

पत्रांक /अभि0नि0-6/विद्युत/आफ लाईन निविदा/गीडा/2024-25 दिनांक 30 जुलाई 2024
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी